स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 261, दिनांक 27-08-2021

विगत 07 वर्षो से फिरौती हेतु अपहरण की घटना में फरार/वांछित रू० 25,000/- का पुरस्कार घोषित अपराधी वालिस्टर को उत्तराखण्ड के हरिद्वार से गिरफ्तार।

दिनांक 26.08.2021 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को थाना इन्दिरा पुरम जनपद गाजियाबाद में पंजीकृत मु0अ0सं0–765/14 धारा 363/364/364ए/168 भादवि में वांछित रू0 25,000 पुरस्कार घोषित अपराधी वालिस्टर को उत्तराखण्ड से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

वालिस्टर पुत्र बाबूराम नि0 पूसावली थाना–गुन्नौर, जनपद सम्भल।

बरामदगी-

01 अदद मोबाइल एम0आई0 व रूपया 250 रूपये नगद।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांक व समय :-

शिवालिक नगर टी कलस्टर के सामने ग्राउन्ड थाना–रानीपुर जनपद–हरिद्वार उत्तराखण्ड /दिनांक 26.08.2021 व समय 17.30 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी दिनो से पुरस्कार घोषित अपराधियो के सक्रिय होकर आपराधिक घटनायें कारित करने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, बरेली द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि फिरौती हेतु अपहरण में वाछित अभियुक्त वालिस्टर पुत्र बाबूराम नि0 पूसावली, थाना–गुन्नौर, जनपद सम्भल वर्तमान समय में हरिद्वार के रानीपुर थाना क्षेत्र में शिवालिक नगर में रह रहा है। इस सूचना पर निरीक्षक अजय पाल सिंह, मु0आ0 मौअज्जम अली, मु0आ0 संदीप कुमार, मु0आ0 राम जी लाल आदि को साथ लेकर जनपद हरिद्वार पहुॅचे तथा दिनांक 26.08.2021 को समय 17.30 बजे मुखबिर की निशादेही पर उक्त अभियुक्त को शिवालिक नगर टी कलस्टर के सामने ग्राउन्ड थाना–रानीपुर जनपद–हरिद्वार उत्तराखण्ड से गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ पर अभियुक्त वालिस्टर ने बताया कि दि0 24.05.2014 को लोक बिहार कालोनी से मदन पाल यादव के छः वर्ष के पुत्र राजू का फिरौती हेतु अपहरण मेरे भाई अरविन्द उर्फ नेता और मेरे गॉव के सत्यवीर व मेरे भाई के साढू पप्पू गुर्जर जो भिन्ड मध्य प्रदेश के हैं। यह तीनों लोग अपहरण कर राजू को मेरे रिश्तेदार राजीव के घर ग्राम–रसूलपुर थाना–जरीफनगर बदायॅु ले आये और मै भी उस बच्चे की सुरक्षा में उनके घर पर मौजूद था और बदायॅु पुलिस ने दबिश देकर दिनांकः 30.05.2014 को अपहृत बच्चे राजू को बरामद कर लिया और मैं और मेरा भाई एवं पप्पू मौके से भाग गये थे जो बाद में पुलिस द्वारा पकड लिये गये। मेरा भाई अभी 04–05 माह पूर्व जेल से छूट कर आया था। मै इस घटना कें बाद से दिल्ली, हरियाणा में मजदूरी कर रहा था और भाई के छूटने के बाद हम 04–05 माह से हरिद्वार में रहकर मजदूरी कर रहे थे और आज मुझे शिवालिक नगर टी कलस्टर के सामने ग्राउन्ड थाना–रानीपुर जनपद–हरिद्वार उत्तराखण्ड से गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्व थाना इन्द्रापुरम, जनपद गाजियाबाद में मु0अ0सं0ः 765/14 धारा 363/364/364ए/168 भादवि में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।